संसदीय कार्यवाही(प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977

लोकतांत्रिक सरकार अर्थात् संसद और उसमें व्यक्त जनता के विचारों का आधार सुदृढ़ करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद की कार्यवाही जनता तक पहुंचाई जाए। इस उद्देश्य के लिए समाचार-पत्रों तथा जन-संचार के अन्य माध्यमों को यह सुविधा दी जानी चाहिए कि वे दीवानी या आपराधिक मुकदमेबाजी का खतरा लिए बिना संसदीय कार्यवाही की सच्ची खबरें दे सकें।

इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही की अखबार में पर्याप्त रूप से सच्ची खबर छापने के मामले में किसी व्यक्ति के विरूद्ध अदालत में कोई दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी खबर प्रकाशित करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी।

यह अधिनियम अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी प्रसारण केन्द्र के कार्यक्रम में खबरों और घटनाओं को प्रसारित करने के मामले में उसी प्रकार से लागू होगा जैसे कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों और घटनाओं के मामले में लागू होता है।

.....